क्रमांक 2536-1 जी.एस.-71/13539

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मंडल और सभी उपायुक्त तथा उपमंडल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक 4-6-71

विषयः- पंजाब लोक सेवा आयोग के विनियमों के विनियम 3 (सी) तथा (डी) के अन्तर्गत भिन्न 2 विभागों द्वारा उचित योग्यताओं को नज़र अन्दाज करके की गई तदर्थ नियुक्तियां ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर आप का ध्यान दिलाऊँ और कहूँ कि पंजाब लोक सेवा आयोग (लिमिटेशन आफ फण्डज) विनियम, 1955 के विनियम 3 (सी) तथा (डी) में दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी नियुक्ति प्राधिकारी को 6 मास के लिए तदर्थ नियुक्ति करने का अधिकार है । इस बारे में लोक सेवा आयोग ने यह प्रश्न उठाया था कि नियुक्ति प्राधिकारी जिन कर्मचारियों को तदर्थ रूप में 6 मास के लिए लगाते हैं वे प्रायः सम्बन्धित सेवा नियमों के अनुसार योग्ताएं, अनुभव तथा आयु आदि की शर्तें पूरी नहीं करते और सुझाव दिया था । कि सरकार सभी विभागाध्यक्षों को ये हिदायतें जारी करें कि सम्बन्धित सेवा नियमों में दी गई योग्यताएं अनुभव और आयु की शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवारों को ही तदर्थ तौर पर लगाया जाए।

2. लोक सेवा आयोग के इस सुझाव से सरकार सहमत है किन्तु सरकार का विचार है कि कई बार विभागों के पास ऐसे खास हालात होते हैं कि निर्धारित योग्यताओं से बाहर जाकर इस प्रकार की नियुक्ति करनी पड़ती है । तो ऐसा तब किया जाना आवश्यक होता है जब कि खाली पद को खाली नहीं रखा जा सकता और प्रयत्नों के बावजूद भी निर्धारित योग्यताएं रखने वाला उम्मीदवार महकमें में या बाहर से उपलब्ध नहीं होता ।

3. चूंकि इस प्रकार की कार्यवाही प्रशासकीय कारणों से आवांछनीय है तथा इसको एक्यूस किया जा सकता है, इसलिये मामले में नियन्त्रण रखने के लिए सरकार ने निर्णय लिया हैं कि यदि योग्ताएं पूरी करने वाले उम्मीदवार न मिलते हों और पद को भरा जाना लोक हित में अति आवश्यक हो तो तब कम योग्यताओं वाले उम्मीदवारों को तदर्थ नियुक्तियाँ केवल मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति से की जाए । साथ ही यह भी जाँच कर ली जाए कि क्या निर्धारित योग्यता के उम्मीदवार के न मिलने पर सम्बन्धित सेवा नियमों में निर्धारित योग्यताओं में उपयुक्त रुप से संशोधन कर लिया जाए या नहीं । ताकि यदि योग्यताओं में संशोधन करने की जरुरत महसूस हो तो यह संशोधन करने की आवश्यक कार्यवाही बिना देरी के की जा सके । मुख्य सचिव को अनुमति प्राप्त करते समय विभाग के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाए :-

(क) निर्धारित योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवारों को खोजने के लिये उन्होंने क्या प्रयत्न किये ।

(ख) क्या विभाग सेवा नियमों में दर्ज योग्यताओं में संशोधन भी करने का विचार रखता है तथा क्या संशोधन करने का विचार है ।

4. उपरोक्त हिदायतें सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में कठोरता से अनुपालन के लिये लाई जाएं तथा इस पत्र की पावती भेजी जाए।

हस्त/-
उप सचिव राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।